Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जिला प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, जिला भरतपुर के जयपुर स्थित ठिकानों पर मिले करीब 40 लाख रुपये की नगदी और करोड़ों रुपयों की परिसम्पत्तियों के दस्तावेज**
- **दो दिन पहले भरतपुर में पकड़ा गया था 1 लाख 60 हजार रुपये नगदी के साथ**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *31 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की भरतपुर इकाई द्वारा दिनांक 29–7–2021 को सूत्र सूचना के आधार पर आकस्मिक चैंकिग कर हंसराम कसाना क्षेत्रीय प्रदुषण नियन्त्रण अधिकारी, भरतपुर को 1 लाख 60 हजार रुपये नगदी के साथ पकड़ा था। उक्त जांच के क्रम में दिनांक 30–7–2021 को ए.सी.बी. जयपुर तृतीय की टीम आरोपी अधिकारी के जयपुर स्थित विला नं0 36, साउथ एक्स, टोंक रोड़, जयपुर तलाशी के लिये पहुंची। जहां करीब 40 लाख रुपये की नगदी तथा करोड़ों क परिसम्पत्तियों के दस्तावेज मिले हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भरतपुर इकाई को गोपनीय सूत्र सूचना प्राप्त हुई कि हंसराम कसाना क्षेत्रीय प्रदुषण नियन्त्रण अधिकारी, भरतपुर द्वारा रिश्वत के रुप में भारी धनराशि ली जाकर आय से अधिक सम्पत्तियां अर्जित की जा रही है तथा दिनांक 29–7–2021 को भारी धनराशि लेनदेन होने की संभावना है। जिस पर भरतपुर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल एवं उनकी टीम द्वारा हंसराम कसाना पुत्र श्री जयमल कसाना निवासी 6, दुर्गाविहार, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर हाल क्षेत्रीय प्रदुषण नियन्त्रण अधिकारी, भरतपुर 1 लाख 60 हजार रुपये नगदी के साथ पकड़ा था।

उक्त जांच के क्रम में दिनांक 30–7–2021 को ए.सी.बी. जयपुर तृतीय की टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु कुलदीप के नेतृत्व में आरोपी अधिकारी के जयपुर स्थित विला नं0 36, साउथ एक्स, टोंक रोड़, जयपुर तलाशी के लिये पहुंची। जहां उन्हें खानातलाशी में करीब 40 लाख रुपये की नगदी तथा 6 करोड़ से अधिक लेनदेन के दस्तावेज तथा कई प्लॉट, विला एवं अन्य परिसम्पत्तियों के दस्तावेज मिले हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपयों की बताई जा रही है। आरोपी के अब तक ज्ञात सभी ठिकानों पर तलाशी जारी है तथा प्राप्त दस्तावेजों एवं चल–अचल सम्पत्तियों की कीमतों का आंकलन किया जा रहा है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।